Government of Rajasthan

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग

आठवी मासिक रिपोर्ट

सितम्बर, 2026

अनुक्रमणिका

1. प्रस्तावना 3
2. विभागीय कार्यकलाप 3
3. IFMS 3.0.. 4
4. (i) पेंशनर्स की संख्या एवं उनका वर्गीकरण 10
   (ii) आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण 10
   (iii)पेंशन भुगतान आदेश 11
   (iv)अगस्त, 2026 से अक्टूबर, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की विभागवार संख्या.................................. 14
5. परिवेदना निवारण 15
6. नवीन संशोधन / नियम / आदेश / निर्वचन........................... 16
7. पेंशन अदालत 21

संक्षिप्त परिचय

1. प्रस्तावना

पेंशन विभाग की स्थापना दिनांक 1 दिसम्बर, 1979 को हुई थी। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश जारी करने के पश्चात् पेंशन विभाग पेंशन अधिकृतियां जारी करता है। पेंशन विभाग का उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पेंशन परिलाभों का भुगतान करना है। वर्तमान में पेंशन विभाग द्वारा नवीनतम प्रक्रियाओं के माध्यम से कम्प्यूटर जनित सेवाओं का उपयोग किया जाकर पेंशन अधिकृतियां जारी किये जाने एवं पेंशन संबंधित परिवेदनाओं के निराकरण का कार्य किया जा रहा है। उक्त समस्त कार्यों का निष्पादन पेंशन विभाग द्वारा अपने अधीनस्थ संभाग स्तर के कार्यालयों (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर) के माध्यम से किया जा रहा है।

2. विभागीय कार्यकलाप :–

विभाग के द्वारा राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों एवं राज्य केडर के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन की मूल एवं संशोधित अधिकृतियॉ जारी करने, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन एवं नकद राशि अधिकृत करने, पुलिस पदक, विशिष्ट और प्रशंसनीय सेवाओं, भूतपूर्व रियासतों के शासकों के हाउस होल्डर्स स्टाफ एवम् भूतपूर्व जागीर कर्मचारियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राजस्व मंडल, इन्दिरा गांधी नहर बोर्ड, कर बोर्ड आदि के अध्यक्ष एवं सदस्यों एवम् नगरपालिका/परिषदों, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् तथा नगर विकास न्यास के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश जारी करने एवं अन्य सेवानिवृत्ति परिलाभ भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी कार्य किये जाते हैं ।

साथ ही पेंशन विभाग के द्वारा मृत्यु एवं सेवानिवृति उपादान राशि अधिकृत करना एवं जीवनकालीन बकाया/पेंशन बकाया के भुगतान की स्वीकृति जारी करना आदि कार्य भी किए जाते हैं। वर्तमान में केन्दीकृत पेंशन वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत एकल आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन परिलाभों के भुगतान संबंधी कार्यवाही की जा रही है।

3. **<u>IFMS 3.0 के माध्यम से पेंशन विभाग के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जा रही हैं :–</u>**

- सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक IFMS 3.0 पोर्टल से सुगमता से पेंशन प्रपत्र अपने SSO-ID पर Login कर ऑनलाईन माध्यम से तैयार कर कार्यालयाध्यक्ष को व कार्यालयाध्यक्ष पेंशन विभाग को ऑनलाईन प्रेषित करते हैं। विभाग के इस पोर्टल पर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक से प्राप्त पेंशन आवेदनों की ऑनलाईन जांच कर सेवानिवृत्त कार्मिक को पेंशन, ग्रेच्युटी एवं कम्यूटेशन की अधिकृतियां ई–हस्ताक्षर (E-Sign) द्वारा जारी की जा रही हैं। यह व्यवस्था अत्यन्त सरल एवं सुगम होने से समय की बचत होती है एवं इससे पेंशन प्रकरणों में अतिशीघ्र पेंशन की अधिकृतियां जारी किया जाना संभव हो सका है।

- पेंशन आवेदन के विभाग में प्राप्त होने के पश्चात ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियां जारी होने तक की प्रक्रिया में होने वाली प्रगति की जानकारी मोबाईल पर SMS के माध्यम से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को उपलब्ध करवायी जा रही है। इस पोर्टल से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को पेंशन प्रकरणों की प्रगति की ऑनलाईन स्थिति देखने एवं जारी की गई अधिकृतियों को download करने की सुविधा उपलब्ध है। पेंशन पोर्टल से दिनांक 01.06.2023 से दिनांक 31.07.2026 तक लगभग 133890 ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) पेंशन अधिकृतियां जारी की जा चुकी हैं।

- दिनांक 30.09.2023 के पश्चात के प्रोविजनल सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण ऑनलाईन IFMS 3.0 पोर्टल से प्रेषित करने की सुविधा एवं दिनांक 25.10.2023 व इसके पश्चात के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पेंशन प्रकरण भी IFMS 3.0 पोर्टल से संचालित हैं। इस पोर्टल से जारी पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं कम्यूटेशन की ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) अधिकृतियों के रिवीजन प्रकरणों की सुविधा दिनांक 04.12.2023 से ऑनलाईन शुरू की जा चुकी हैं।

- पेंशनरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार के अधिकारियों/कार्मिकों (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर) को स्वयं की SSO ID के माध्यम से ऑनलाईन ई–हस्ताक्षरित (E-Signed) जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जारी करने की सुविधा भी IFMS 3.0 पोर्टल पर उपलब्ध है।

- मासिक पेंशन स्लिप तथा पेंशन का वार्षिक विवरण देखने हेतु मोबाईल ऐप की सुविधा विकसित की गई है। इस मोबाईल ऐप के माध्यम से पेंशनर अपनी मासिक पेंशन, अतिरिक्त पेंशन तथा स्त्रोत पर आयकर की कटौतियों का विवरण देख सकते हैं।

- पारिवारिक पेंशनर्स की जन्म तिथि निर्धारण के संबंध में जारी आदेश को डिजीटल किया जाकर स्वतः कोषालय के लिगेसी डेटा में परिवर्तन किये जाने का प्रावधान किया गया है। जिससे पेंशनर को इस कार्य हेतु कोषालय में जाने की आवश्यकता नही है।

- राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 83 के अन्तर्गत संबंधित कर्मचारी का सेवनिवृत्ति की दिनांक से 6 माह पूर्व पेंशन प्रकरण अधिकृति जारी करने हेतु पेंशन विभाग को भिजवाया जा सकता है। इसके लिए कार्मिक सेवानिवृत्ति से 180 दिवस (6 माह) पूर्व अपनी स्वयं की SSO ID के माध्यम से IFMS 3.0 में Employee Self Service पर जाकर कुल 8 Fields को पूर्ण कर पेंशन प्रकरण स्वयं के विभाग (Head of office) में प्रस्तुत कर सकता है। **यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से Paperless है।**
- कार्यालयाध्यक्ष (चैकर) के स्तर पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण का समुचित सत्यापन एवं अद्यतन उपरान्त लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र अपलोड कर पेंशन विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाता है। **यह प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से Paperless है।**
- कार्यालयाध्यक्ष (अप्रूवर) के स्तर पर कार्मिक द्वारा प्रस्तुत पेंशन प्रकरण का समुचित सत्यापन, अद्यतन एवं अपलोड किये गये दस्तावेजों के परीक्षण उपरान्त Aadhar Based E-Sign कर पेंशन विभाग को ऑनलाईन अग्रेषित किया जाता है। **यह प्रक्रिया भी पूर्ण रूप से Paperless है।**
- **पेंशनर्स के नाम, जन्म तिथि, बैंक, कोषालय, पते आदि में परिवर्तन कराने हेतु प्रकरण ऑनलाईन प्रस्तुत किये जा रहे हैं।** यह प्रक्रिया भी पूर्णरूप से **Paperless है।**

पेंशनर्स के नाम, जन्म तिथि, बैंक, कोषालय, पते आदि में परिवर्तन हेतु Pension Updation/Pension Correction Module

नीचे प्रदर्शित विकल्प में से "Access Pensioner Self Service" या Access Family Pensioner Self Service" (पारिवारिक पेंशनर की स्थिति में) विकल्प का चयन करें

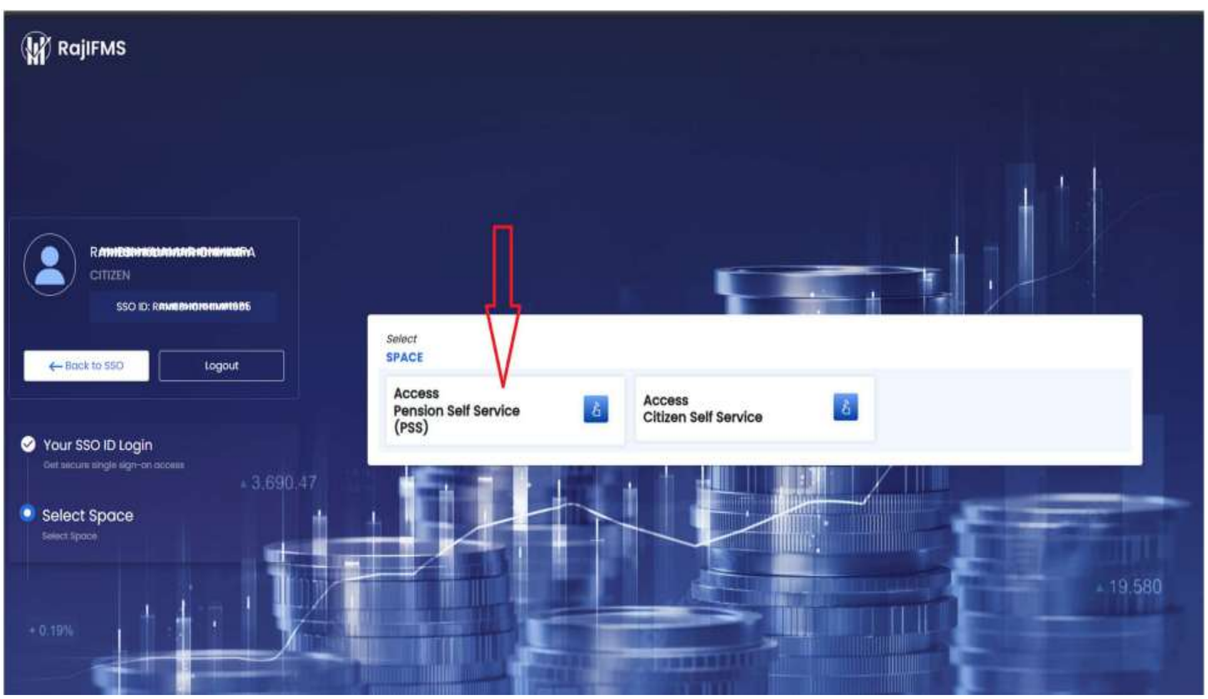

" Access Pensioner Self Service" विकल्प का चयन करने के पश्चात, प्रदर्शित पृष्ठ से " PensionCorrection Letter " विकल्प का चयन करें

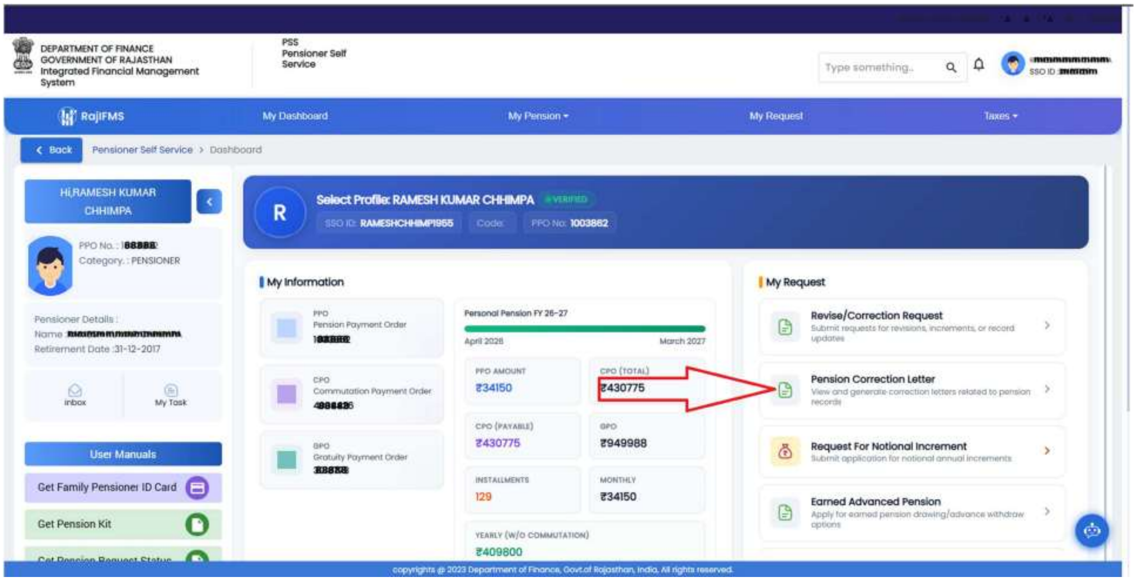

" Pension Correction Letter " विकल्प का चयन करने के पश्चात, निम्न पृष्ठ प्रदर्शित हो जायेगा, यदि पेंशनर से अपने विवरण में अद्यतन के लिए पहले से कोई अनुरोध किया है तो, यहां नीचे उस अनुरोध की स्थिति प्रदर्शित हो जायेगी और यदि विवरण में अद्यतन के लिए अनुरोध करना है तो, New Correction/UPdation Request " पर क्लिक करें,

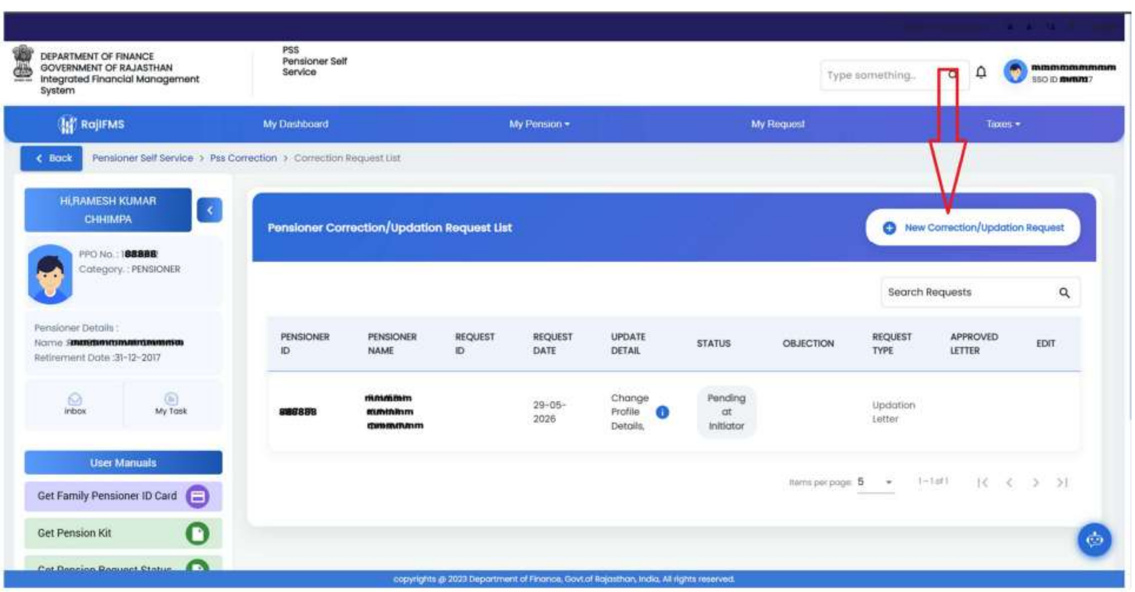

" New Correction/Updation Request " पर क्लिक करने के बाद " PSS Updation/PSS Correction विकल्प प्रदर्शित हो जायेंगे, अब प्रदर्शित विकल्पों को ध्यानपूर्वक देखें, और जिस विवरण का अद्यतन करना है, उसी विकल्प का चयन करें

नोट :– PSS Updation के अनुरोध पेंशनर के Zonal Pension Office से अग्रेषित होंगे और PSS Correction के अनुरोध पेंशनर के कार्यालय से अग्रेषित होंगे

विवरण अद्यतन के अनुसार विकल्प का चयन करने के पश्चात पर "Continue" क्लिक करें

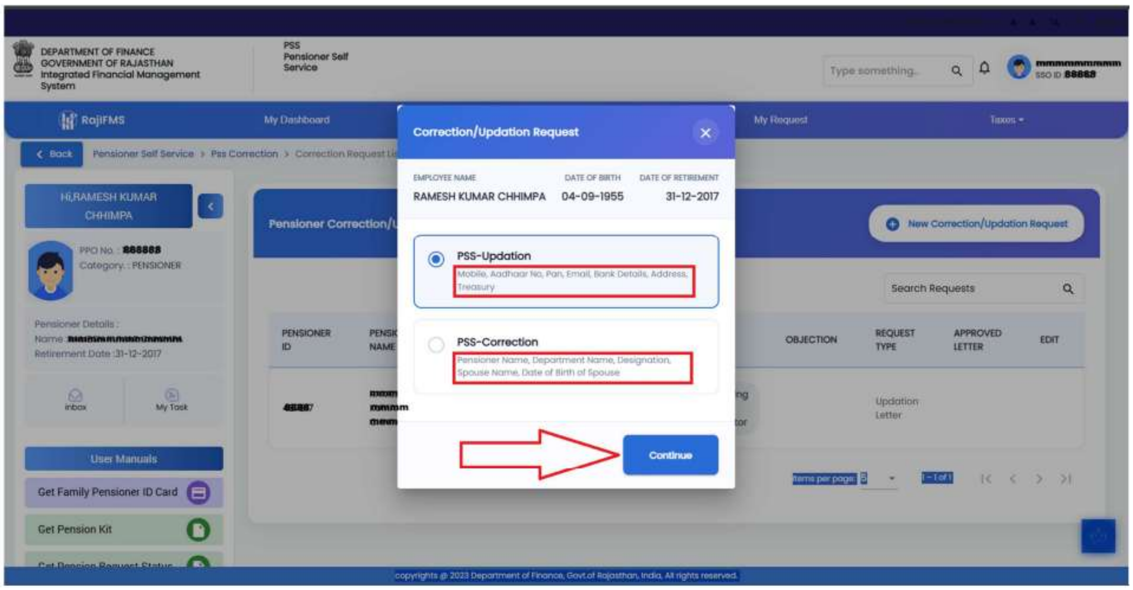

"Continue" क्लिक करने के पश्चात, चयनित विकल्प के अनुसार, अद्यतन के लिए प्रदर्शित हो जाएगा। अब जिस भी विवरण में अद्यतन करना है, "Edit" पर क्लिक कर, उस विवरण में सही विवरण दर्ज करें तथा विवरण के पुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर "Next" पर क्लिक करें और यदि प्रदर्शित पृष्ठ पर किसी भी विवरण का अद्यतन नहीं करना चाहते है तो "Skip" पर क्लिक करें।

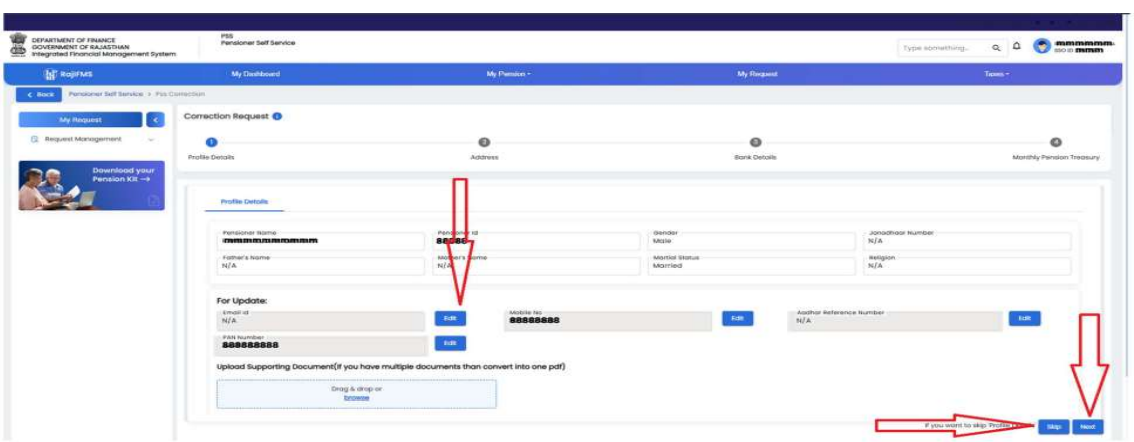

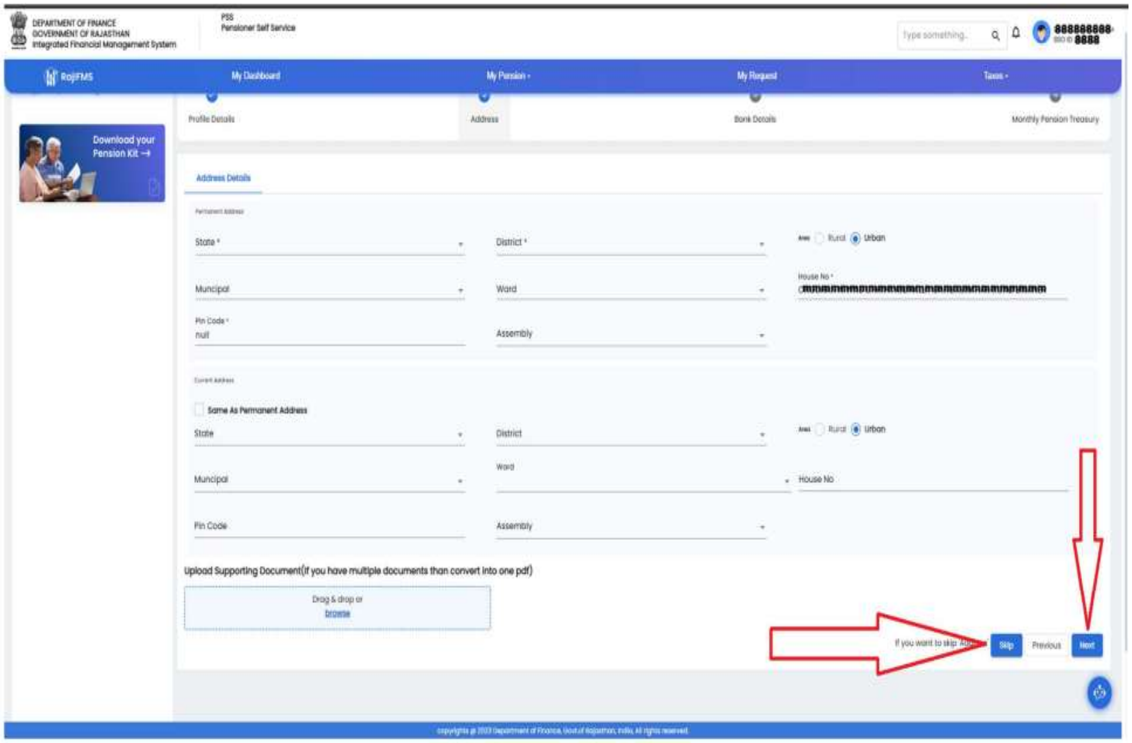

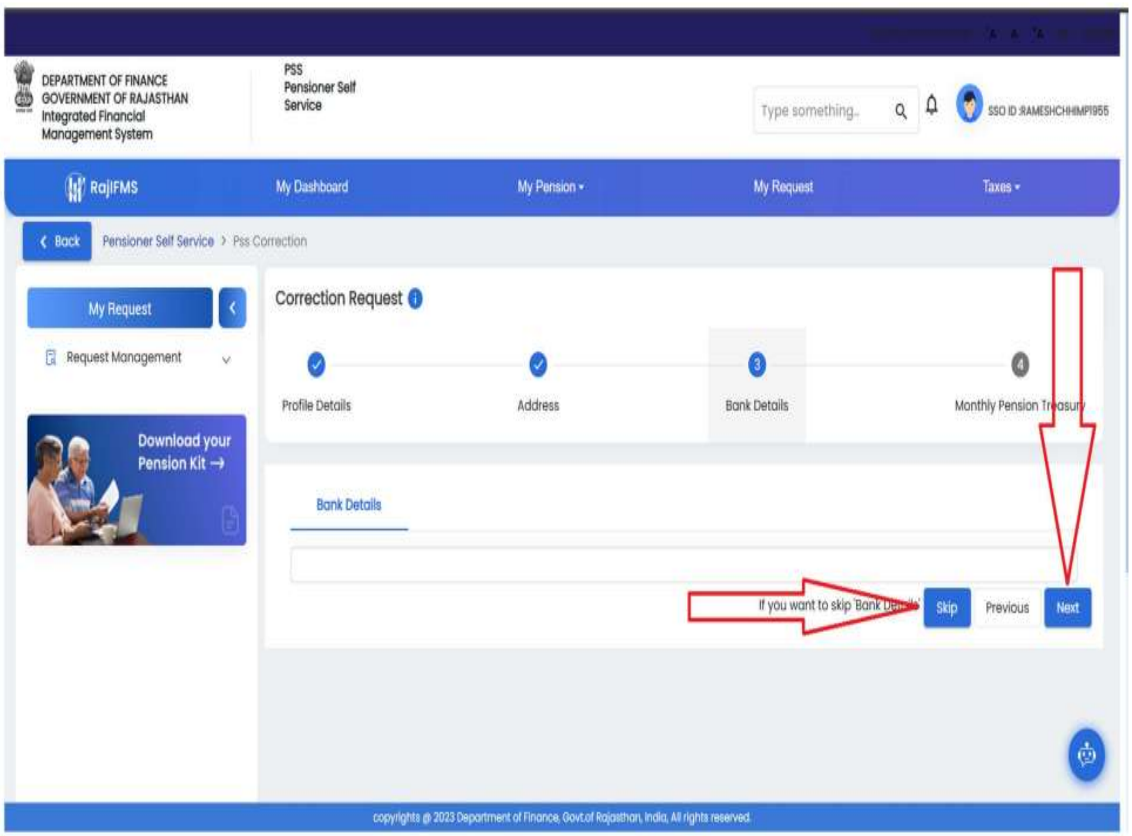
DEPARTMENT OF FINANCE
GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Integrated Financial
Management System
PSS
Pensioner Self
Service
RajIFMS
My Dashboard
My Pension
My Request
Taxes
Back
Pensioner Self Service > Pss Correction
My Request
Request Management
Download your Pension Kit
Correction Request
Profile Details
Address
Bank Details
Monthly Pension Treasury
Bank Details
Skip
Previous
Next
copyrights @ 2023 Department of Finance, Govt.of Rajasthan, India, All rights reserved.

" Monthly Pension Treasury " में कोई बदलाव करना है तो "Treasury" का चयन करें और "Verify & Update" पर क्लिक करें और यदि मासिक पेंशन में कोई बदलाव नहीं चाहते है तो "Skip & Verify & Update" पर क्लिक करें।

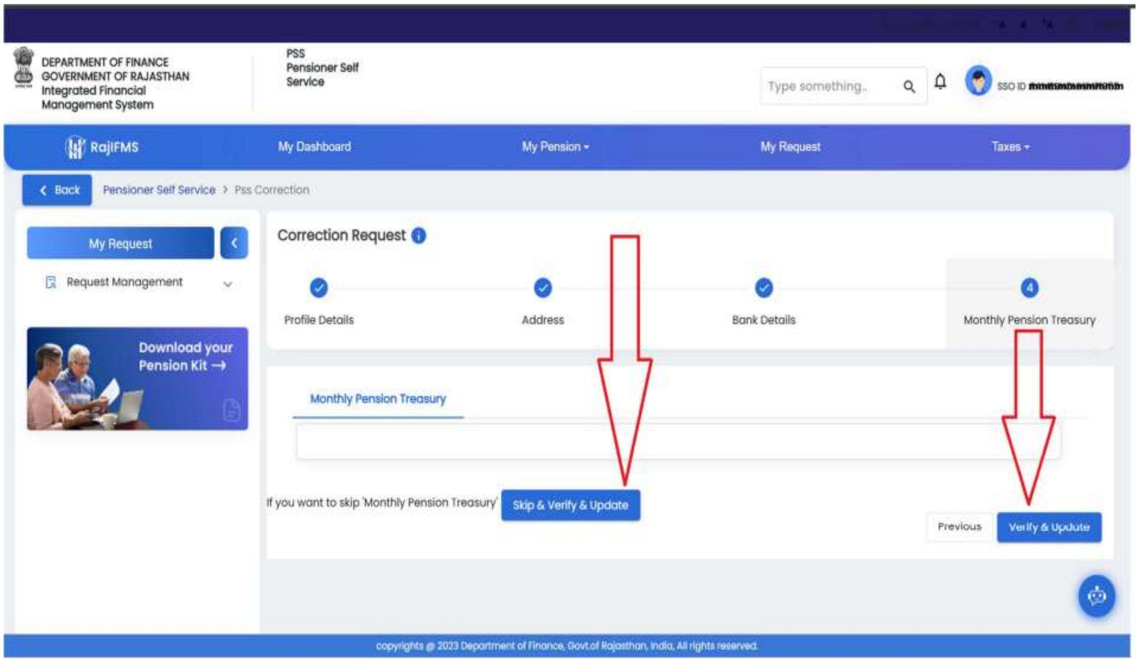

उसके बाद पीपीओ में संलग्न मोबाइल नम्बर पर OTP प्राप्त हो जायेगा, प्राप्त OTP को दर्ज कर "Proceed" पर क्लिक करें, सफलतापूर्वक OTP सत्यापन होने के बाद, विवरण अद्यतन का आवेदन संबंधित कार्यालय (अद्यतन आवेदन के अनुसार) को अग्रेषित हो जायेगा

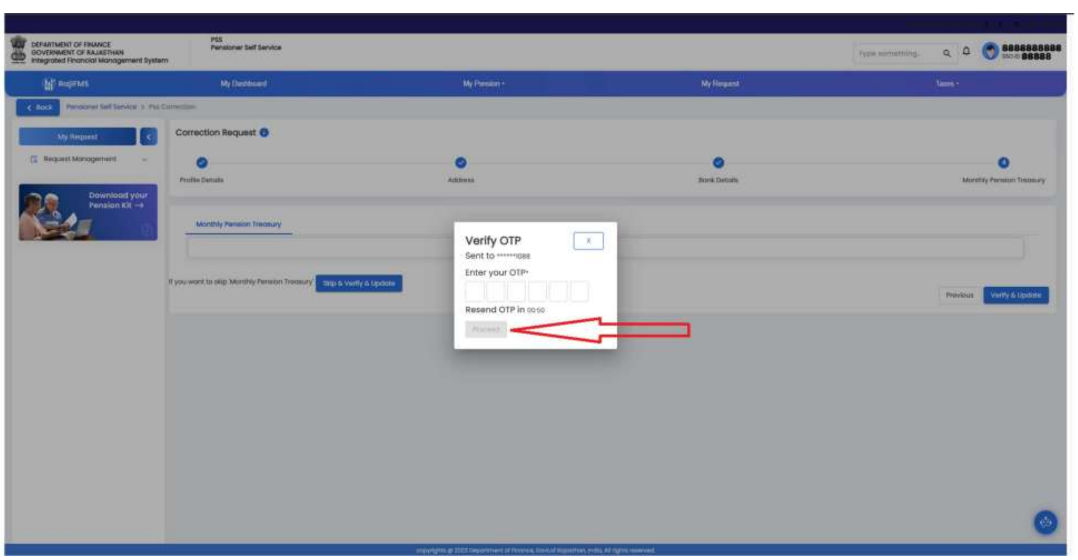

4.1 पेंशनर्स की संख्या एवं वर्गीकरण

क्र.सं.	वर्गीकरण	पेंशनर्स की संख्या
1.	राज्य पेंशनर्स	392100
2.	राज्य पारिवारिक पेंशनर्स	218523
3.	अन्य पेंशनर्स	
I	नगरपालिका के (सिविल, पारिवारिक एवं एनपीएस) पेंशनर्स	24777
Ii	राजस्व मण्डल/राजस्थान कर बोर्ड (अध्यक्ष/सदस्य) के पेंशनर्स	32
Iii	पंचायती राज (सिविल एवं पारिवारिक) पेंशनर्स	18624
Iv	दिनांक 04.09.2012 की अधिसूचना के अनुसार (विधवा/तलाकशुदा/अविवाहित पुत्री) पारिवारिक पेंशनर्स	5180
V	मीसा/डीआईआर पेंशनर्स	1628
Vi	अखिल भारतीय सेवा के पेंशनर्स	794
Vii	न्यायिक सेवा के पेंशनर्स	470
Viii	खादी (सिविल एवं पारिवारिक) पेंशनर्स	401
Ix	राजस्थान लोक सेवा आयोग (अध्यक्ष एवं सदस्य) पेंशनर्स	21
X	गैलेन्ट्री सिविल पेंशनर्स	1
xi	स्वतंत्रता सेनानी/टोंक जागीर पेंशनर्स	0

4.2 आयु वर्ग के अनुसार पेंशनर्स का वर्गीकरण :–

क्र.सं.	आयु वर्ग	पेंशनर्स की संख्या
1	60 – 69 वर्ष	394144
3	70 –75 वर्ष	109550
4	76 –80 वर्ष	55420
5	81 –85 वर्ष	33001
6	86 –90 वर्ष	14200
7	91 –95 वर्ष	3556
8	96 –100 वर्ष	645
9	100 से अधिक आयु	107

4.3 पेंशन भुगतान आदेश

I. दिनांक 01.02.2026 से दिनांक 31.07.2026 (गत 6 माह) तक पेंशन विभाग में कुल **11609** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए हैं एवं कुल **11495** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	3128	3061
2.	अजमेर	1624	1607
3.	बीकानेर	1272	1264
4.	जोधपुर	1420	1918
5.	भरतपुर	1134	1122
6.	कोटा	1042	1036
7.	उदयपुर	1489	1487
	कुल	**11609**	**11495**

II. दिनांक 01.02.2026 से दिनांक 31.07.2026 (गत 6 माह) तक पेंशन विभाग में कुल **944** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए है एवं कुल **906** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	317	287
2.	अजमेर	96	94
3.	बीकानेर	137	136
4.	जोधपुर	185	184
5.	भरतपुर	63	63
6.	कोटा	57	56
7.	उदयपुर	89	86
	कुल	**944**	**906**

III. दिनांक 01.02.2026 से दिनांक 31.07.2026 (गत 6 माह) तक प्रमुख विभाग जिनके द्वारा पेंशन प्रकरण विभागीय स्तर से पेंशन विभाग को प्रेषित नहीं किए गए है, उनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अग्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की कुल संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	6330	5737	427
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	709	589	83

3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	886	694	145
4.	पुलिस विभाग	792	666	105
5.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	945	767	103
6.	आयुर्वेद विभाग	265	142	96
7.	पशुपालन विभाग	219	150	43
8.	राजस्व विभाग	299	201	64
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	344	252	56
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	262	184	51
	कुल	**11051**	**9382**	**1173**

IV. दिनांक 01.08.2026 से दिनांक 31.08.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **1675** पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए एवं कुल **1284** पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	540	357
2.	अजमेर	237	181
3.	बीकानेर	172	137
4.	जोधपुर	288	264
5.	भरतपुर	112	96
6.	कोटा	118	84
7.	उदयपुर	208	165
	कुल	**1675**	**1284**

V. दिनांक 01.08.2026 से दिनांक 31.08.2026 तक पेंशन विभाग में कुल **252** पारिवारिक पेंशन प्रकरण प्राप्त हुए एवं कुल **168** पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश (FPPO) जारी किये गये। जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	संभाग का नाम	प्राप्त प्रकरण	जारी पीपीओ
1.	जयपुर	156	113
2.	अजमेर	16	10
3.	बीकानेर	17	08
4.	जोधपुर	26	13
5.	भरतपुर	08	05
6.	कोटा	14	12
7.	उदयपुर	15	07
	कुल	**252**	**168**

VI. दिनांक 01.08.2026 से दिनांक 31.08.2026 तक ऐसे पेंशन प्रकरण जो विभाग स्तर से अग्रेषित नहीं किये गये हैं, जिनका संभागवार विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	विभाग का नाम	सेवानिवृत्त कार्मिकों की संख्या	पेंशन विभाग द्वारा जारी अधिकृतियों की संख्या	अग्रेषित नहीं किये गये पेंशन प्रकरणों की संख्या
1.	माध्यमिक शिक्षा विभाग	1117	702	218
2.	प्रारम्भिक शिक्षा विभाग	145	62	38
3.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	147	63	54
4.	पुलिस विभाग	149	62	65
5.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	170	69	54
6.	आयुर्वेद विभाग	55	08	36
7.	पशुपालन विभाग	33	10	19
8.	राजस्व विभाग	51	15	26
9.	वन एवं पर्यावरण विभाग	51	10	27
10.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	41	11	18
	कुल	**1959**	**1012**	**560**

4.4 अगस्त, 2026 से अक्टूबर, 2026 तक सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की विभागवार संख्या

Department-wise Upcoming Retirement 3 Months (Aug-26 to Oct-26)					
S.No.	**Department Name**	**Aug-2026**	**Sep-2026**	**Oct-2026**	**Grand Total**
1.	Secondary Education Department, Bikaner	832	665	581	2078
2.	Public Health Engineering Department, Jaipur	108	88	75	271
3.	Medical and Health Services, Jaipur	78	81	85	244
4.	Police Department, Jaipur	77	73	58	208
5.	Elementry Education Department, Bikaner	36	38	32	106
6.	Ayurved Department, Ajmer	45	25	20	90
7.	Board of Revenue, Ajmer	44	27	30	101
8.	Forest Department, Jaipur	35	35	37	107
9.	Public Works Department, Jaipur	37	21	25	83
10.	Animal Husbandry Department, Jaipur	30	34	21	85
11.	Rajasthan High Court, Jodhpur	30	26	15	71
12.	College Education Department, Jaipur	26	27	16	69
13.	Sanskrit Education Department, Jaipur	22	6	18	46
14.	Agriculture Department, Jaipur	15	11	06	32
15.	Excise Department, Udaipur	17	10	04	31
16.	Integrated Child Development Services, Jaipur	07	13	04	24
17.	Water Resources Department, Jaipur	03	09	10	21
18.	S.M.S. Medical College and Associated Group of Hospitals, Jaipur	20	08	10	38
19.	Medical and Health Services (Family Welfare), Jaipur	03	06	02	11
20.	Treasuries and Accounts Department, Jaipur	06	04	03	13
21.	Commercial Taxes Department, Jaipur	03	06	01	10
22.	Dr. S.N. Medical College and Associated Group of Hospitals, Jodhpur	11	06	04	21
23.	Technical (Training) Education, Jodhpur	07	11	05	23
24.	Indira Gandhi Nahar Project, Bikaner	07	01	02	10
25.	Technical Education Department, Jodhpur	17	04	05	26
26.	Mines and Geology Department, Udaipur	04	05	06	15
27.	Medical and Health Services (ESI), Jaipur	03	04	02	09
28.	Department of Personnel (Government Secretariat, including State	12	04	05	21
29.	Jail Department, Jaipur	03	02	00	05
30.	State Insurance and Provident Fund Department, Jaipur	05	05	01	11

5. परिवेदना निवारण

विभाग में पेंशनर्स की समस्याओं/परिवेदनाओं के समाधान हेतु पेंशनर्स समस्या निवारण केन्द्र (PGRC) की स्थापना की गई है। पेंशनर्स सीधे ही PGRC को अपनी पेंशन संबंधी समस्याएं/शिकायतें प्रस्तुत कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित ऑनलाईन प्रक्रिया राजस्थान सम्पर्क पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का भी निस्तारण किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यालयों यथा राज्यपाल सचिवालय, मुख्य मंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय एवं वित्त विभाग आदि के माध्यम से प्राप्त पेंशनर्स की समस्याओं एवं परिवेदनाओं के निराकरण की कार्यवाही भी की जाती है। दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.07.2026 तक प्राप्त परिवेदनाएं एवं उनके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्राप्त परिवेदनाएं	निस्तारित परिवेदनाएं	बकाया परिवेदना
1.	पीजीआरसी (01.10.2025 से 31.07.2026)	6025	6009	16
2.	सम्पर्क पोर्टल	3794	3794	00
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	211	211	00

दिनांक 01.08.2026 से दिनांक 31.08.2026 तक प्राप्त परिवेदनाएं एवं उनके निवारण का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	प्राप्त परिवेदना का माध्यम	प्रारम्भिक परिवेदना शेष	माह के दौरान प्राप्त	माह के दौरान निस्तारित	अन्तिम बकाया परिवेदना
1.	सम्पर्क पोर्टल	00	250	250	00
2.	पीजीआरसी	16	175	164	27
3.	सीएमओ/सीएस कार्यालय/वित्त विभाग आदि	00	37	37	00

6. नवीन संशोधन/नियम/आदेश/निर्वचन

1. राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 67, 134 एवं फॉर्म 14 में संशोधन दिनांक 12.06.2026

Government of Rajasthan
Finance Department
(Rules Division)

No. F.12(2)FD/Rules/2026 Jaipur, dated: 12 JUN, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, namely:-

1. Short title and commencement :- (1) These rules may be called the Rajasthan Civil Services (Pension) (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 67 :- The existing condition (ii) and (iii) of proviso to rule 67 of the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(ii) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy that the disability is of such a nature so as to prevent him or her from earning his or her livelihood and the same shall be evidenced by a certificate obtained from -

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and theguidelines and notifications issued by the Central Government or State Government or Union Territory administration; or

(B) a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability, setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child,

(iii) the person receiving the family pension as guardian of such son or daughter or such son or daughter not receiving the family pension through a guardian shall produce a certificate from,-

(A) an authority competent to issue disability certificate in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016), the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 and the guidelines and notifications issued by the Central Government or State Government or Union Territory administration; or

(B) a Medical Board comprising of a Medical Superintendent or a Principal or a Director or Head of the Institution or his nominee as Chairman and two other members, out of which at least one shall be a Specialist in the particular area of disability including mental retardation, once, if the disability is permanent and if the disability is temporary, once in every three years, to the effect that he or she continues to suffer from a disability."

3. Amendment of rule 134 :- In sub-rule (1) of rule 134 of the said rules,-

(i) in clause (ix), for the existing expression "; or", appearing at the end, the punctuation mark "; " shall be substituted;

(ii) in clause (x), for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the expression "; " shall be substituted; and

(iii) after the existing clause (x), so amended, the following new clause (xi) and

(xii) shall be added, namely:-

"(xi) all serving government servants except class IVth employees of State Government may issue life certificate to the pensioner/family pensioner by e-signing/ authenticating through their SSO ID ; or

(xii) pensioner may submit life certificate using the face authentication technology system based on UIDAI Aadhar software."

4. Amendment of Form 14 :- In Form 14 appended to the said rules,-

(i) the existing clause 12 and entries thereto shall be substituted by the following, namely:-

"12. Attested by:

Name Full address Signature

....";

and

(ii) the existing Note shall be substituted by the following, namely:-

"Note: Attestation should be done by only one Gazetted Officer or one person of respectability in the town or village in which the applicant resides."

By order of the Governor,

(Shivangi Swarnkar)

Special Secretary to the Government

2. **Submission of digital life Certificate of pensioners through face authentication**

GOVERNMENTOF RAJASTHAN
FINANCE (PENSION) DEPARTMENT

F.2(2)FD/Pension/2020 **JAIPUR, Dated : 15-06-2026**

NOTIFICATION

Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to recerve subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas Ministry of Electronics and Information Technology. Government of India. after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter number 13(9)/2022-EG-II dated 28-07-2023 to the Pension and Pensioners' Welfare Department, hereinafter referred to as the said department, Govermment of Rajasthan, hereinafter referred to as the said Government, for the purposes specified under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, hereinafter referred to as the said rules, that the said Department may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016, hereinafter referred to as the Act,

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for submission of Digital Life Certificate through Face Authentication, hereinafter referred to as the said purpose, as specified under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said department shall perform the Aadhaar authentication only for submission of Digital Life Certificate, hereinafter referred to as the use case;

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section(4) of section 4 of the said Act, the State Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) The said department, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

   (2) As per provisions of sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication is on voluntary basis, the department shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to undergo Aadhaar authentication, namely: -

(a) Submission of Life Certificate through SSO ID, of officer of the State Service or employee of subordinate or ministerial service;

(b) The pensioner can submit his/her life certificate by personally appearing at the Treasury/Pension Department;

(c) Submission of Life Certificate through Jeevan Pramaan by e-Mitra.

2. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By order of the Governor,

(Shivangi Swarnkar)
Special Secretary to tho Government

3. राजकीय सेवा में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2022 तक सेवानिवृत हुए कार्मिकों को 01.04.2022 से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत पेंशन का विकल्प दिए जाने के संबंध में निर्देश

राजस्थानसरकार
वित्तविभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.12(3)वित्त/नियम/2022 पार्ट–।। जयपुर, दिनांक : 05.08.2026

परिपत्र

विषय :– राजकीय सेवा में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 31.03.2022 तक सेवानिवृत हुए कार्मिकों को 01.04.2022 से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत पेंशन का विकल्प दिए जाने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 में संशोधन की अधिसूचना क्रमांक प.12(2) वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 तथा राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन)

नियम, 2005 को निरसित किए जाने की अधिसूचना क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 जारी की गई है, जो दिनांक 01.04.2022 से प्रभावी है।

अधिसूचना क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 के प्रावधान के अनुसार दिनांक 31.03.2022 तक सेवानिवृत कार्मिकों को एनपीएस के अन्तर्गत प्राप्त पूर्णराशि मय ब्याज के, जो जीपीएफ की तत्समय प्रचलित ब्याज दर के समान होगी, जमा करवाये जाने की शर्त पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 का नियमानुसार लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है, परन्तु उक्त अधिसूचना में पूर्ण राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं है।

उक्त विषय का समुचित परीक्षण कर यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् राजकीय सेवा में नियुक्त तथा 31.03.2022 तक सेवानिवृत हुये कार्मिकों को अधिसूचना क्रमांक प.12(3)वित्त/नियम/2022 दिनांक 19.05.2022 की पालना किये जाने की शर्त पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिए जाने हेतु अंतिम तिथि 30.09.2026 निर्धारित की जाती है। उक्त तिथि की समाप्ति के पश्चात् यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

(शिवांगी स्वर्णकार)
विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)

7. पेंशन अदालत दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार)

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– निपेवि / पीजीआरसी / पेंशन अदालत / 2025 / 9075k   दिनांक :– 31.07.2026

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की पेंशन अदालत हेतु पुनर्निधारित दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार) को पेंशन अदालत का आयोजन करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वित्त (पेंशन) .विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 10(3)वित्त / पेंशन / 2025 दिनांक 18.02.2026 के क्रम में पेंशनर्स के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों की भुगतान सम्बन्धी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी में पेंशन अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में निवेदन है कि :

1. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग की दिनांक 27.07.2026 को प्रस्तावित पेंशन अदालत को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की पेंशन अदालत का आयोजन पुनर्निर्धारित **दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार)** को किया जाना है।

2. वित्त (पेंशन) विभाग राज. जयपुर का परिपत्र क्रमांक प.10(3)वित्त / पेंशन / 2025 दिनांक 18.02.2026 एवं पत्र दिनांक 24.07.2026 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, विभाग के बकाया पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण एवं पेंशनर्स की समस्याओं व शिकायतों के निराकरण हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर पर दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार) को पेंशन अदालत का आयोजन करावें।

3. वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा पेंशन अदालत का गठन निम्नानुसार किया गया है :–

निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,	–	संयोजक
संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग	–	सदस्य
निदेशक / अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	–	सदस्य
अध्यक्ष, पेंशनर समाज / पेंशनर मंच, राजस्थान	–	सदस्य

4. पेंशन अदालत हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी नामित किया जाकर संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग तथा निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर को नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, सम्पर्क नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. उपलब्ध करावें।

5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के प्रतिवर्ष लगभग 1800 कार्मिक सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त करते हैं। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के दिनांक 30.06.2026 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों के 430

पेंशन प्रकरण Initiate नहीं किए गए हैं, (परिशिष्ट 'अ') एवं 56 पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को अपूर्ण प्रस्तुत करने के कारण आक्षेप में बकाया हैं (परिशिष्ट 'ब')। उक्त दोनों परिशिष्ट की सूचियों का आपके विभाग के रिकॉर्ड से सत्यापन करावें, यदि कोई विसंगति है तो पेंशन विभाग को सूचित करावें। कमियॉ/आक्षेप जिनके कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, विभाग के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं होता है,का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

6. दिनांक 30.06.2026 तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्मिकों की सेवा के दौरान मृत्यु के बकाया पारिवारिक पेंशन प्रकरणों की सूची इस विभाग को भिजवाते हुए पारिवारिक पेंशन निस्तारण की कार्यवाही करावें।

7. 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त सेवारत कार्मिको की मृत्यु के बकाया पारिवारिक पेंशन प्रकरण जिनमें NSDL से प्राप्त राशि राज्य मद में जमा करवाने के उपरान्त भी यदि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रमाणिकरण प्रमाण पत्र जारी नही किया जा रहा है अथवा दिनांक 01.04.2022 के पश्चात् सेवानिवृत ऐसे एनपीएस कार्मिक जिनकी NSDL से राशि प्राप्त होकर राजकोष में जमा नहीं हुई है तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण पेंशन अधिकृतियां जारी नहीं हुई है, का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करावें ताकि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से प्रमाण पत्र जारी करवाकर पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाया जा सके।

8. पेंशन अदालत आयोजित किये जाने हेतु विभिन्न चरण एवं उनकी समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित करावे :

क्र.सं.	पेंशन अदालत हेतु विभिन्न चरण	दिनांक
1.	पेंशन अदालत हेतु पेंशनर्स द्वारा परिवेदना प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	18.08.2026
2.	निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं सीएमएचओ कार्यालय पर परिवेदनाएं संकलित कर पेंशन विभाग को प्रेषित करने की दिनांक	25.08.2026
3.	प्राप्त परिवेदनाओं पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा पेंशन विभाग द्वारा कार्रवाई करने की दिनांक	05.09.2026
4.	पेंशन अदालत में प्रस्तुत किये जाने के लिए पंजीकृत परिवेदनाओं के क्रम में निदेशक (जन स्वास्थ्य) विभाग द्वारा पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स को सूचित किये जाने की दिनांक	10.09.2026
5.	पेंशन अदालत आयोजित किये जाने की दिनांक	18.09.2026

9. पेंशन अदालत हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदना प्राप्त करना :—
पेंशन अदालत हेतु परिवेदना प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसे भरकर पेंशनर द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में व्यक्तिशः, डाक अथवा ई—मेल से प्रस्तुत किया जा सकेगा :—
(i) निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
(ii) निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
(iii) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त जिला कार्यालय)।
(iv) अतिरिक्त निदेशक, पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त।
(v) कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, समस्त।

निर्धारित प्रपत्र में पेंशनर्स द्वारा परिवेदनाएं दिनांक 18.08.2026 तक उक्त कार्यालयों में प्रस्तुत करने एवं दिनांक 18.09.2026 की पेंशन अदालत का समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करावें।

10. पेंशनर्स द्वारा दिनांक 18.08.2026 तक प्रस्तुत परिवेदनाओं को निदेशक (जन स्वास्थ्य) एवं पेंशन विभाग के स्तर पर समेकित किया जायेगा। तत्पश्चात (1) निदेशक (जन स्वास्थ्य) विभाग में प्राप्त एवं समेकित परिवेदनाओं में से निदेशक (जन स्वास्थ्य) विभाग के स्तर पर निर्णित होने वाले प्रकरणों का विभाग स्तर पर निस्तारण किया जायेगा एवं ऐसे प्रकरण जो पेंशन विभाग के स्तर पर निर्णित होने हैं, सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन विभाग को प्रेषित किये जायेंगे, (2) पेंशन विभाग में प्राप्त एवं समेकित परिवेदनाओं में से पेंशन विभाग के स्तर से निर्णित होने वाले प्रकरणों का पेंशन विभाग द्वारा निस्तारण किया जायेगा एवं ऐसे प्रकरण जो निदेशक (जन स्वास्थ्य) विभाग के स्तर पर निर्णित होने हैं, उन्हें निदेशक (जन स्वास्थ्य) विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किया जायेगा। ऐसे प्रकरण जिनका निस्तारण निदेशक (जन स्वास्थ्य) विभाग एवं पेंशन विभाग के स्तर पर नहीं हो सकता है, उन प्रकरणों को पेंशन अदालत में निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा रखा जायेगा। जो अधिकारी पेंशन अदालत में उपस्थित रहेंगे वे उपलबध रिकॉर्ड के आधार पर आवश्यक निर्णय लेकर मौके पर ही पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण करेंगे एवं पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।

11. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदनाएं पेंशन अदालत की निर्धारित दिनांक से एक माह पूर्व तक प्राप्त करना एवं पेंशन अदालत की दिनांक तक इनका समाधान कराया जाना सुनिश्चित करावें। पेंशन अदालत हेतु पंजीकृत परिवादों/प्रकरणों की प्रतिलिपि पेंशन विभाग को दिनांक 25.08.2026 तक उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि पेंशन विभाग के स्तर पर लम्बित पेंशन प्रकरणों का पेंशन अदालत से पूर्व निस्तारित करवाया जा सके। पेंशन अदालत हेतु आपके विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देशित करावें कि उनके द्वारा निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर एवं पेंशन क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का पेंशन अदालत की निर्धारित दिनांक से पूर्व निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

12. पेंशनर को पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए व्यक्तिशः उपस्थित होने अथवा ऑनलाईन जुड़ने का विकल्प दिया जाये एवं ऑनलाईन जुड़ने का विकल्प देने की स्थिति में वीडियो कॉफ्रेसिंग के लिए लिंक उपलब्ध करवाया जाये। पेंशनर को पेंशन अदालत के आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिये छाया–पानी, बैठक व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधा आदि आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाई जावे।

13. पेंशन अदालत के आयोजन के पश्चात निस्तारित परिवेदनाओं एवं जारी करवायी गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधिकृतियों के विवरण के साथ पेंशन अदालत की कार्यवाही रिपोर्ट समीक्षा हेतु वित्त (पेंशन) विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह भूकर)
निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– निपेवि / पीजीआरसी / पेंशन अदालत / 2025 / 9063K   दिनांक :– 31.07.2026

मुख्य अभियन्ता (प्रशासन),
जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग,
जल भवन, राजस्थान, जयपुर।

विषय :– जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की पेंशन अदालत हेतु पुनर्निधारित दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार) को पेंशन अदालत का आयोजन करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वित्त (पेंशन) .विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 10(3)वित्त / पेंशन / 2025 दिनांक 18.02.2026 के क्रम में पेंशनर्स के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों की भुगतान सम्बन्धी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी में पेंशन अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में निवेदन है कि :

1. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की दिनांक 27.07.2026 को प्रस्तावित पेंशन अदालत को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था। अब जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की पेंशन अदालत का आयोजन पुनर्निर्धारित **दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार)** को किया जाना है।

2. वित्त (पेंशन) विभाग राज. जयपुर का परिपत्र क्रमांक प.10(3)वित्त / पेंशन / 2025 दिनांक 18.02.2026 एवं पत्र दिनांक 24.07.2026 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के बकाया पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण एवं पेंशनर्स की समस्याओं व शिकायतों के निराकरण हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर पर दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार) को पेंशन अदालत का आयोजन करावें।

3. वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा पेंशन अदालत का गठन निम्नानुसार किया गया है :–

मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	–	संयोजक
संयुक्त शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग	–	सदस्य
निदेशक / अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	–	सदस्य
अध्यक्ष, पेंशनर समाज / पेंशनर मंच, राजस्थान	–	सदस्य

4. पेंशन अदालत हेतु जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग का नोडल अधिकारी नामित किया जाकर संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग तथा निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर को नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, सम्पर्क नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. उपलब्ध करावें।

5. जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के प्रतिवर्ष लगभग 1700 कार्मिक सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त करते हैं। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के दिनांक 30.06.2026 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों के 208 पेंशन प्रकरण Initiate नहीं किए गए हैं, (परिशिष्ट 'अ') एवं 70 पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को अपूर्ण प्रस्तुत करने के कारण आक्षेप में बकाया हैं (परिशिष्ट 'ब')। उक्त दोनों परिशिष्ट की सूचियों का आपके विभाग के रिकॉर्ड से सत्यापन करावें, यदि कोई विसंगति है तो पेंशन विभाग को सूचित

करावें। कमियॉ/आक्षेप जिनके कारण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, विभाग के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं होता है,का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

6. दिनांक 30.06.2026 तक जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के कार्मिकों की सेवा के दौरान मृत्यु के बकाया पारिवारिक पेंशन प्रकरणों की सूची इस विभाग को भिजवाते हुए पारिवारिक पेंशन निस्तारण की कार्यवाही करावें।

7. 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त सेवारत कार्मिको की मृत्यु के बकाया पारिवारिक पेंशन प्रकरण जिनमें NSDL से प्राप्त राशि राज्य मद में जमा करवाने के उपरान्त भी यदि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रमाणिकरण प्रमाण पत्र जारी नही किया जा रहा है अथवा दिनांक 01.04.2022 के पश्चात् सेवानिवृत ऐसे एनपीएस कार्मिक जिनकी NSDL से राशि प्राप्त होकर राजकोष में जमा नहीं हुई है तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण पेंशन अधिकृतियां जारी नहीं हुई है, का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करावें ताकि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से प्रमाण पत्र जारी करवाकर पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाया जा सके।

8. पेंशन अदालत आयोजित किये जाने हेतु विभिन्न चरण एवं उनकी समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित करावे :

क्र.सं.	पेंशन अदालत हेतु विभिन्न चरण	दिनांक
1.	पेंशन अदालत हेतु पेंशनर्स द्वारा परिवेदना प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	18.08.2026
2.	मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एवं सीएमएचओ कार्यालय पर परिवेदनाएं संकलित कर पेंशन विभाग को प्रेषित करने की दिनांक	25.08.2026
3.	प्राप्त परिवेदनाओं पर जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग तथा पेंशन विभाग द्वारा कार्रवाई करने की दिनांक	05.09.2026
4.	पेंशन अदालत में प्रस्तुत किये जाने के लिए पंजीकृत परिवेदनाओं के क्रम में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स को सूचित किये जाने की दिनांक	10.09.2026
5.	पेंशन अदालत आयोजित किये जाने की दिनांक	18.09.2026

9. पेंशन अदालत हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदना प्राप्त करना :–
पेंशन अदालत हेतु परिवेदना प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसे भरकर पेंशनर द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में व्यक्तिशः, डाक अथवा ई–मेल से प्रस्तुत किया जा सकेगा :–
(i) मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(ii) निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
(iii) अधीक्षण अभियन्ता (समस्त जिला स्तरीय कार्यालय)।
(iv) अतिरिक्त निदेशक, पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त।
(v) कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, समस्त।
निर्धारित प्रपत्र में पेंशनर्स द्वारा परिवेदनाएं दिनांक 18.08.2026 तक उक्त कार्यालयों में प्रस्तुत करने का समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करावें।

10. पेंशनर्स द्वारा दिनांक 18.08.2026 तक प्रस्तुत परिवेदनाओं को मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) एवं पेंशन विभाग के स्तर पर समेकित किया जायेगा। तत्पश्चात (1) मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में प्राप्त एवं समेकित परिवेदनाओं में से मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के स्तर पर निर्णित होने वाले प्रकरणों का विभाग स्तर पर निस्तारण किया जायेगा एवं ऐसे प्रकरण जो पेंशन विभाग के स्तर पर निर्णित होने हैं, सम्बन्धित

अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन विभाग को प्रेषित किये जायेंगे, (2) पेंशन विभाग में प्राप्त एवं समेकित परिवेदनाओं में से पेंशन विभाग के स्तर से निर्णित होने वाले प्रकरणों का पेंशन विभाग द्वारा निस्तारण किया जायेगा एवं ऐसे प्रकरण जो मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के स्तर पर निर्णित होने हैं, उन्हें मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किया जायेगा। ऐसे प्रकरण जिनका निस्तारण मुख्य अभियन्ता (प्रशासन), जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एवं पेंशन विभाग के स्तर पर नहीं हो सकता है, उन प्रकरणों को पेंशन अदालत में निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा रखा जायेगा। जो अधिकारी पेंशन अदालत में उपस्थित रहेंगे वे उपलबध रिकॉर्ड के आधार पर आवश्यक निर्णय लेकर मौके पर ही पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण करेंगे एवं पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।

11. पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स से निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदनाएं पेंशन अदालत की निर्धारित दिनांक से एक माह पूर्व तक प्राप्त करना एवं पेंशन अदालत की दिनांक तक इनका समाधान कराया जाना सुनिश्चित करावें। पेंशन अदालत हेतु पंजीकृत परिवादों / प्रकरणों की प्रतिलिपि पेंशन विभाग को दिनांक 25.08.2026 तक उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि पेंशन विभाग के स्तर पर लम्बित पेंशन प्रकरणों का पेंशन अदालत से पूर्व निस्तारित करवाया जा सके। पेंशन अदालत हेतु आपके विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देशित करावें कि उनके द्वारा निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर एवं पेंशन क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का पेंशन अदालत की निर्धारित दिनांक से पूर्व निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।

12. पेंशनर को पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए व्यक्तिशः उपस्थित होने अथवा ऑनलाईन जुड़ने का विकल्प दिया जाये एवं ऑनलाईन जुड़ने का विकल्प देने की स्थिति में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के लिए लिंक उपलब्ध करवाया जाये। पेंशनर को पेंशन अदालत के आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिये छाया—पानी, बैठक व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधा आदि आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाई जावे।

13. पेंशन अदालत के आयोजन के पश्चात निस्तारित परिवेदनाओं एवं जारी करवायी गयी पेंशन / पारिवारिक पेंशन अधिकृतियों के विवरण के साथ पेंशन अदालत की कार्यवाही रिपोर्ट समीक्षा हेतु वित्त (पेंशन) विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः—उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह भूकर)
निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :– निपेवि/पीजीआरसी /पेंशन अदालत/2025/9035 दिनांक :– 31.07.2026

महानिदेशक, पुलिस
राजस्थान, जयपुर।

विषय :– पुलिस विभाग की पेंशन अदालत हेतु पुनर्निधारित दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार) को पेंशन अदालत का आयोजन करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वित्त (पेंशन) .विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 10(3)वित्त/पेंशन/2025 दिनांक 18.02.2026 के क्रम में पेंशनर्स के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों की भुगतान सम्बन्धी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी में पेंशन अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में निवेदन है कि :

1. पुलिस विभाग की दिनांक 27.07.2026 को प्रस्तावित पेंशन अदालत को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था। अब पुलिस विभाग की पेंशन अदालत का आयोजन पुनर्निर्धारित **दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार)** को किया जाना है।
2. वित्त (पेंशन) विभाग राज. जयपुर का परिपत्र क्रमांक प.10(3)वित्त/पेंशन/2025 दिनांक 18.02. 2026 एवं पत्र दिनांक 24.07.2026 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि पुलिस विभाग के बकाया पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण एवं पेंशनर्स की समस्याओं व शिकायतों के निराकरण हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर पर दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार) को पेंशन अदालत का आयोजन करावें।
3. वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा पेंशन अदालत का गठन निम्नानुसार किया गया है :–

महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग	–	संयोजक
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस विभाग	–	सदस्य
निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	–	सदस्य
अध्यक्ष, पेंशनर समाज/पेंशनर मंच, राजस्थान	–	सदस्य

4. पेंशन अदालत हेतु पुलिस विभाग का नोडल अधिकारी नामित किया जाकर संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग तथा निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर को नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, सम्पर्क नम्बर एवं ई–मेल आई.डी. उपलब्ध करावें।
5. पुलिस विभाग के प्रतिवर्ष लगभग 1400 कार्मिक सेवानिवृत्त होकर पेंशन प्राप्त करते हैं। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार वर्तमान में पुलिस विभाग के दिनांक 30.06.2026 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों के 240 पेंशन प्रकरण Initiate नहीं किए गए हैं, (परिशिष्ट 'अ') एवं 32 पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग को अपूर्ण प्रस्तुत करने के कारण आक्षेप में बकाया हैं (परिशिष्ट 'ब')। उक्त दोनों परिशिष्ट की सूचियों का आपके विभाग के रिकॉर्ड से सत्यापन करावें, यदि कोई विसंगति है तो पेंशन विभाग को सूचित करावें। कमियॉ/आक्षेप जिनके कारण पुलिस विभाग के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं होता है,का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

6. दिनांक 30.06.2026 तक पुलिस विभाग के कार्मिकों की सेवा के दौरान मृत्यु के बकाया पारिवारिक पेंशन प्रकरणों की सूची इस विभाग को भिजवाते हुए पारिवारिक पेंशन निस्तारण की कार्यवाही करावें।

7. 01.01.2004 के पश्चात् नियुक्त सेवारत कार्मिको की मृत्यु के बकाया पारिवारिक पेंशन प्रकरण जिनमें NSDL से प्राप्त राशि राज्य मद में जमा करवाने के उपरान्त भी यदि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रमाणिकरण प्रमाण पत्र जारी नही किया जा रहा है अथवा दिनांक 01.04.2022 के पश्चात् सेवानिवृत ऐसे एनपीएस कार्मिक जिनकी NSDL से राशि प्राप्त होकर राजकोष में जमा नहीं हुई है तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाने के कारण पेंशन अधिकृतियां जारी नहीं हुई है, का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करावें ताकि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से प्रमाण पत्र जारी करवाकर पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करवाया जा सके।

8. पेंशन अदालत आयोजित किये जाने हेतु विभिन्न चरण एवं उनकी समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित करावे :

क्र.सं.	पेंशन अदालत हेतु विभिन्न चरण	दिनांक
1.	पेंशन अदालत हेतु पेंशनर्स द्वारा परिवेदना प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	18.08.2026
2.	महानिदेशक पुलिस, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर, महानिरीक्षक पुलिस, रेंज एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालयों पर परिवेदनाएं संकलित कर पेंशन विभाग को प्रेषित करने की दिनांक	25.08.2026
3.	प्राप्त परिवेदनाओं पर पुलिस विभाग तथा पेंशन विभाग द्वारा कार्रवाई करने की दिनांक	05.09.2026
4.	पेंशन अदालत में प्रस्तुत किये जाने के लिए पंजीकृत परिवेदनाओं के क्रम में महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग द्वारा पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स को सूचित किये जाने की दिनांक	10.09.2026
5.	पेंशन अदालत आयोजित किये जाने की दिनांक	18.09.2026

9. पेंशन अदालत हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदना प्राप्त करना :-
पेंशन अदालत हेतु परिवेदना प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसे भरकर पेंशनर द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में व्यक्तिशः, डाक अथवा ई-मेल से प्रस्तुत किया जा सकेगा :-
(i) महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(ii) पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर।
(iii) महानिरीक्षक पुलिस, रेंज, समस्त, राजस्थान।
(iv) निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
(v) जिला पुलिस अधीक्षक (समस्त जिला राजस्थान)।
(vi) अतिरिक्त निदेशक, पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त।
(vii) कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, समस्त।
निर्धारित प्रपत्र में पेंशनर्स द्वारा परिवेदनाएं दिनांक 18.08.2026 तक उक्त कार्यालयों में प्रस्तुत करने का समुचित प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करावें।

10. पेंशनर्स द्वारा दिनांक 18.08.2026 तक प्रस्तुत परिवेदनाओं को महानिदेशक पुलिस एवं पेंशन विभाग के स्तर पर समेकित किया जायेगा। तत्पश्चात (1) महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग में प्राप्त एवं समेकित परिवेदनाओं में से महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग के स्तर पर निर्णित होने वाले प्रकरणों का विभाग स्तर पर निस्तारण किया जायेगा एवं ऐसे प्रकरण जो पेंशन विभाग के स्तर पर निर्णित होने हैं, सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन विभाग को प्रेषित किये जायेंगे, (2) पेंशन विभाग में प्राप्त एवं समेकित परिवेदनाओं में से पेंशन विभाग

के स्तर से निर्णित होने वाले प्रकरणों का पेंशन विभाग द्वारा निस्तारण किया जायेगा एवं ऐसे प्रकरण जो महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग के स्तर पर निर्णित होने हैं, उन्हें महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित किया जायेगा। ऐसे प्रकरण जिनका निस्तारण महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग एवं पेंशन विभाग के स्तर पर नहीं हो सकता है, उन प्रकरणों को पेंशन अदालत में निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा रखा जायेगा। जो अधिकारी पेंशन अदालत में उपस्थित रहेंगे वे उपलबध रिकॉर्ड के आधार पर आवश्यक निर्णय लेकर मौके पर ही पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण करेंगे एवं पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।

11. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदनाएं पेंशन अदालत की निर्धारित दिनांक से एक माह पूर्व तक प्राप्त करना एवं पेंशन अदालत की दिनांक तक इनका समाधान कराया जाना सुनिश्चित करावें। पेंशन अदालत हेतु पंजीकृत परिवादों/प्रकरणों की प्रतिलिपि पेंशन विभाग को दिनांक 25.08.2026 तक उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि पेंशन विभाग के स्तर पर लम्बित पेंशन प्रकरणों का पेंशन अदालत से पूर्व निस्तारित करवाया जा सके। पेंशन अदालत हेतु आपके विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देशित करावें कि उनके द्वारा निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर एवं पेंशन क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का पेंशन अदालत की निर्धारित दिनांक से पूर्व निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जावें।

12. पेंशनर को पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए व्यक्तिशः उपस्थित होने अथवा ऑनलाईन जुड़ने का विकल्प दिया जाये एवं ऑनलाईन जुड़ने का विकल्प देने की स्थिति में वीडियो कॉफ्रेसिंग के लिए लिंक उपलब्ध करवाया जाये। पेंशनर को पेंशन अदालत के आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिये छाया–पानी, बैठक व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधा आदि आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाई जावे।

13. पेंशन अदालत के आयोजन के पश्चात निस्तारित परिवेदनाओं एवं जारी करवायी गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधिकृतियों के विवरण के साथ पेंशन अदालत की कार्यवाही रिपोर्ट समीक्षा हेतु वित्त (पेंशन) विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह भूकर)
निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :— निपेवि / पीजीआरसी / पेंशन अदालत / 2025 / 9050K   दिनांक :— 31.07.2026

निदेशक,
स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय :— स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान की पेंशन अदालत हेतु पुनर्निधारित दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार) को पेंशन अदालत का आयोजन करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वित्त (पेंशन) .विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 10(3)वित्त / पेंशन / 2025 दिनांक 18.02.2026 के क्रम में पेंशनर्स के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों की भुगतान सम्बन्धी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रतिवर्ष माह अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी में पेंशन अदालत आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में निवेदन है कि :

1. स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान की दिनांक 27.07.2026 को प्रस्तावित पेंशन अदालत को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया था। अब स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान की पेंशन अदालत का आयोजन पुनर्निर्धारित **दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार)** को किया जाना है।

2. वित्त (पेंशन) विभाग राज. जयपुर का परिपत्र क्रमांक प.10(3)वित्त / पेंशन / 2025 दिनांक 18.02.2026 एवं पत्र दिनांक 24.07.2026 की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान के अधीनस्थ नगर निगम / परिषद / पालिकाओं के सेवानिवृत्त कार्मिकों के बकाया पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्रकरणों के निस्तारण एवं पेंशनर्स की समस्याओं व शिकायतों के निराकरण हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर पर दिनांक 18.09.2026 (शुक्रवार) को पेंशन अदालत का आयोजन करावें।

3. वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा पेंशन अदालत का गठन निम्नानुसार किया गया है :—

निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान	—	संयोजक
संयुक्त शासन सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान	—	सदस्य
निदेशक / अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग	—	सदस्य
अध्यक्ष, पेंशनर समाज / पेंशनर मंच, राजस्थान	—	सदस्य

4. पेंशन अदालत हेतु स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान का नोडल अधिकारी नामित किया जाकर संयुक्त शासन सचिव, वित्त (पेंशन) विभाग तथा निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण, राजस्थान, जयपुर को नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम, सम्पर्क नम्बर एवं ई—मेल आई.डी. उपलब्ध करावें।

5. स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान के अधीनस्थ नगर निगम / परिषद / पालिकाओं के 31.07.2026 तक प्रस्तुत पेंशन प्रकरण जो पेंशन विभाग को अपूर्ण प्रस्तुत करने के कारण आक्षेप में बकाया हैं, ऐसे पेंशन प्रकरणों की आक्षेप पूर्ति कर प्रकरण अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय पेंशन

कार्यालयों को अविलम्ब प्रस्तुत कराकर पेंशन अधिकृतियां जारी करावें। उक्त के अतिरिक्त 31.07.2026 तक सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों के पेंशन प्रकरण आपके विभाग द्वारा Initiate नहीं किये गये हैं, ऐसे प्रकरणों की सूचना दिनांक 20.08.2026 तक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें। अगस्त, 2026 से अक्टूबर, 2026 तक आगामी 3 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करावें ताकि इनकी पेंशन अधिकृतियां भी दिनांक 18.09.2026 को आयोजित की जाने वाली पेंशन अदालत से पूर्व जारी करवायी जा सकें। कमियॉ/आक्षेप जिनके कारण स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान के कार्मिकों के पेंशन प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं होता है, का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

6. दिनांक 31.07.2026 तक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान के अन्तर्गत नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के कार्मिकों की सेवा के दौरान मृत्यु के बकाया पारिवारिक पेंशन प्रकरणों की सूची इस विभाग को दिनांक 20.08.2026 तक भिजवाते हुए पारिवारिक पेंशन निस्तारण की कार्यवाही करावें।

7. पेंशन अदालत आयोजित किये जाने हेतु विभिन्न चरण एवं उनकी समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित करावे :

क्र.सं.	पेंशन अदालत हेतु विभिन्न चरण	दिनांक
1.	पेंशन अदालत हेतु पेंशनर्स द्वारा परिवेदना प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	18.08.2026
2.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान एवं क्षेत्रीय उप निदेशक कार्योलयों पर परिवेदनाएं संकलित कर पेंशन विभाग को प्रेषित करने की दिनांक	25.08.2026
3.	प्राप्त परिवेदनाओं पर स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान तथा पेंशन विभाग द्वारा कार्रवाई करने की दिनांक	05.09.2026
4.	पेंशन अदालत में प्रस्तुत किये जाने के लिए पंजीकृत परिवेदनाओं के क्रम में निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान द्वारा पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स को सूचित किये जाने की दिनांक	10.09.2026
5.	पेंशन अदालत आयोजित किये जाने की दिनांक	18.09.2026

8. पेंशन अदालत हेतु निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदना प्राप्त करना :–
पेंशन अदालत हेतु परिवेदना प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। जिसे भरकर पेंशनर द्वारा निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में व्यक्तिशः, डाक अथवा ई–मेल से प्रस्तुत किया जा सकेगा :–
(i) निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(ii) निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
(iii) क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, समस्त, राजस्थान।
(iv) अतिरिक्त निदेशक, पेंशन क्षेत्रीय कार्यालय, समस्त, राजस्थान।
(v) कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, समस्त, राजस्थान।
निर्धारित प्रपत्र में पेंशनर्स द्वारा परिवेदनाएं दिनांक 18.08.2026 तक उक्त कार्यालयों में प्रस्तुत करने एवं दिनांक 18.09.2026 की पेंशन अदालत का समुचित प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करावें।

9. पेंशनर्स द्वारा दिनांक 18.08.2026 तक प्रस्तुत परिवेदनाओं को निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान एवं पेंशन विभाग के स्तर पर समेकित किया जायेगा। तत्पश्चात (1) निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान में प्राप्त एवं समेकित परिवेदनाओं में से निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान के स्तर पर निर्णित होने वाले प्रकरणों का विभाग स्तर पर निस्तारण किया जायेगा एवं ऐसे प्रकरण जो पेंशन विभाग के स्तर पर निर्णित होने हैं, सम्बन्धित अतिरिक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पेंशन विभाग को प्रेषित किये जायेंगे, (2) पेंशन विभाग में प्राप्त एवं

समेकित परिवेदनाओं में से पेंशन विभाग के स्तर से निर्णित होने वाले प्रकरणों का पेंशन विभाग द्वारा निस्तारण किया जायेगा एवं ऐसे प्रकरण जो निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान के स्तर पर निर्णित होने हैं, उन्हें निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान क्षेत्रीय उप निदेशक कार्यालयों को प्रेषित किया जायेगा। ऐसे प्रकरण जिनका निस्तारण निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान एवं पेंशन विभाग के स्तर पर नहीं हो सकता है, उन प्रकरणों को पेंशन अदालत में निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभाग द्वारा रखा जायेगा। जो अधिकारी पेंशन अदालत में उपस्थित रहेंगे वे उपलबध रिकॉर्ड के आधार पर आवश्यक निर्णय लेकर मौके पर ही पेंशनर्स की समस्याओं का निराकरण करेंगे एवं पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करेंगे।

10. पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स से निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदनाएं पेंशन अदालत की निर्धारित दिनांक से एक माह पूर्व तक प्राप्त करना एवं पेंशन अदालत की दिनांक तक इनका समाधान कराया जाना सुनिश्चित करावें। पेंशन अदालत हेतु पंजीकृत परिवादों/प्रकरणों की प्रतिलिपि पेंशन विभाग को दिनांक 25.08.2026 तक उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें ताकि पेंशन विभाग के स्तर पर लम्बित पेंशन प्रकरणों का पेंशन अदालत से पूर्व निस्तारित करवाया जा सके। पेंशन अदालत हेतु आपके विभाग द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को निर्देशित करावें कि उनके द्वारा निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर एवं पेंशन क्षेत्रीय कार्यालयों से समन्वय स्थापित कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्रकरणों का पेंशन अदालत की निर्धारित दिनांक से पूर्व निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।

11. पेंशनर को पेंशन अदालत में भाग लेने के लिए व्यक्तिशः उपस्थित होने अथवा ऑनलाईन जुड़ने का विकल्प दिया जाये एवं ऑनलाईन जुड़ने का विकल्प देने की स्थिति में वीडियो कॉफ्रेसिंग के लिए लिंक उपलब्ध करवाया जाये। पेंशनर को पेंशन अदालत के आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिये छाया–पानी, बैठक व्यवस्था एवं चिकित्सा सुविधा आदि आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाई जावे।

12. पेंशन अदालत के आयोजन के पश्चात निस्तारित परिवेदनाओं एवं जारी करवायी गयी पेंशन/पारिवारिक पेंशन अधिकृतियों के विवरण के साथ पेंशन अदालत की कार्यवाही रिपोर्ट समीक्षा हेतु वित्त (पेंशन) विभाग को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह भूकर)
निदेशक

राजस्थान सरकार
निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,
राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– निपेवि / पीजीआरसी / पेंशन अदालत / 2025 / 9101–142K दिनांक :– 31.07.2026

कोषाधिकारी,
समस्त (राजस्थान)।

विषय :– दिनांक 18.09.2026 को आयोजित की जाने वाली 4 विभागों की पेंशन अदालत सम्बन्धित परिवेदनाएं प्राप्त करने एवं प्रचार–प्रसार करवाने बाबत।

महोदया / महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (पेंशन) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 10(3)वित्त / पेंशन / 2025 दिनांक 18.02.2026 (प्रति संलग्न) द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों, पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन प्रकरण प्रस्तुत करने, पेंशन अधिकृतियां जारी करने एवं सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान सम्बन्धी समस्याओं तथा शिकायतों के समाधान हेतु प्रतिवर्ष माह अप्रेल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी में पेंशन अदालत आयोजित की जायेंगी। इस क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग (नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका) के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर पेंशन / सेवा के दौरान मृत्यु पर पारिवारिक पेंशन स्वीकृति के बकाया प्रकरण, पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन परिलाभों के भुगतान सम्बन्धी समस्याओं तथा शिकायतों के समाधान हेतु **दिनांक 18.09.2026** को पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। पेंशन अदालत आयोजित किए जाने हेतु विभिन्न चरण एवं उनकी समय सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है :–

क्र.सं.	पेंशन अदालत हेतु विभिन्न चरण	दिनांक
1.	पेंशन अदालत हेतु पेंशनर्स द्वारा परिवेदना प्रस्तुत किये जाने की दिनांक	18.08.2026
2.	पेंशन अदालत आयोजित कराने वाले 4 विभागों के स्तर पर परिवेदनाएं संकलित कर पेंशन विभाग को प्रेषित करने की दिनांक	25.08.2026
3.	प्राप्त परिवेदनाओं पर 4 विभागों के स्तर पर तथा पेंशन विभाग द्वारा कार्रवाई करने की दिनांक	05.09.2026
4.	पेंशन अदालत में प्रस्तुत किये जाने के लिए पंजीकृत परिवेदनाओं के क्रम में 4 विभागों के द्वारा पेंशन विभाग एवं पेंशनर्स को सूचित किये जाने की दिनांक	10.09.2026
5.	पेंशन अदालत आयोजित किये जाने की दिनांक	18.09.2026

पेंशन अदालत हेतु पेंशनर्स से निर्धारित प्रपत्र (प्रति संलग्न) में परिवेदनाएं प्राप्त की जायेंगी। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक / पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स निम्नलिखित कार्यालयों में से किसी भी कार्यालय में दिनांक 18.08.2026 तक व्यक्तिशः, डाक अथवा ई–मेल से परिवेदनाएं प्रस्तुत कर सकेंगे :–

(1) विभागाध्यक्ष के स्तर पर :—
(i) महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
(ii) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवााएं, राजस्थान, जयपुर।
(iii) निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(iv)मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(2) निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(3) संभाग स्तर पर :—
(i) पुलिस आयुक्त, आयुक्तालय, जयपुर/जोधपुर।
(ii) महानिरीक्षक पुलिस (समस्त रेंज, राजस्थान)।
(iii) अतिरिक्त निदेशक (समस्त), पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान।
(ii) क्षेत्रीय उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग (समस्त संभाग, राजस्थान)।
(5) जिला स्तर पर :—
(i) जिला पुलिस अधीक्षक।
(ii) जिला कोषाधिकारी।
(iii) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
(iv) अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग।

पेंशनर्स द्वारा कोष कार्यालय में दिनांक 18.08.2026 तक प्रस्तुत परिवेदनाओं को संकलित कर दिनांक 20.08.2026 तक परिवेदनाएं निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग को ई—मेल आईडी dir-pen-rj@nic.in पर प्रेषित करें।

जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग तथा नगर निगम/परिषद/पालिकाओं के पेंशन स्वीकृतकर्ता अधिकारियों से सम्पर्क कर बकाया पेंशन प्रकरण निस्तारण करवाने की कार्रवाई करावें।

पेंशनर /पारिवारिक पेंशनर जिनकी पेंशन अधिकृतियां जारी नहीं हुई हैं अथवा पेंशन भुगतान में समस्याएं हैं, से सम्पर्क कर परिवेदनाएं प्राप्त करने के लिए जिला एवं तहसील स्तर पर राजस्थान पेंशनर समाज/राजस्थान पेंशनर मंच के पदाधिकारियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

दिनांक 18.09.2026 को आयोजित की जाने वाली 4 विभागों की पेंशन अदालत का कोष/उपकोष कार्यालय स्तर पर पर्याप्त प्रचार—प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(महेन्द्र सिंह भूकर)
निदेशक

पेंशन अदालत हेतु परिवेदना आवेदन फार्म
(पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन स्वीकृति हेतु)

1. कर्मचारी का नाम / पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर ....
2. एम्पलोई आई.डी. / पीपीओ न. / एफपीपीओ नं. ....
3. पदनाम एवं कार्यालय का नाम तथा विभाग का नाम ....
4. सेवानिवृत्ति दिनांक / मृत्यु दिनांक ....
5. यदि सेवा में रहते हुए कार्मिक की मृत्यु के कारण
   पारिवारिक पेंशन का प्रकरण है :
   पेंशन प्रकरण स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है अथवा नहीं ....
6. पता एवं सम्पर्क नं. (मोबाईल, टेलीफोन एवं ई–मेल आई. डी.) ....

   ....
7. परिवेदना का संक्षिप्त विवरण..

   ....
8. यदि परिवेदना पहले प्रस्तुत / दर्ज की गई है–संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें एवं दर्ज

   शिकायत की प्रति संलग्न करें ....
9. परिवेदना से संबंधित दस्तावेजों की प्रति (यदि कोई हो) ....
10. पेंशन अदालत में व्यक्तिशः उपस्थिति अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ना ....

दिनांक :–

नाम एवं हस्ताक्षर

पेंशन भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर – 302005

दूरभाष 2740678, 2741687, 2740694 एवं 2740538

टोल फ्री नं. 18001808182

E-Mail :- dir-pen-rj@nic.in

Website : Pension.rajasthan.gov.in